



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-68/2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

सन्तु पासवान एवं अन्य

बनाम्

व्यास देवी एवं अन्य

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया सन्तु पासवान वो उपेन्द्र कुमार दोनों के पिता-स्व० टुना पासवान, सा०+थाना-मनिका, जिला-लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के तहत क्रेता व्यास देवी पति-स्व० राजेन्द्र बैठा वो बुधन बैठा वो शंकर बैठा दोनों के पिता-स्व० सोमर बैठा सा०+थाना-मनिका, जिला-लातेहार के साथ मौजा-मनिका अंचल- मनिका, खाता संख्या-106 प्लॉट संख्या-1019 रकबा-0.10 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया। दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 05.07.2024 को सशरीर उपस्थित होकर जमीन का उचित बाजार मूल्य पर क्रय-विक्रय के लिए सहमति व्यक्त करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक-316 दिनांक 26.07.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक-316 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा-मनिका अंचल-मनिका, खाता संख्या-106 प्लॉट संख्या-1019 रकबा-0.10 एकड़ भूमि आवेदकगण की खतियानी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित

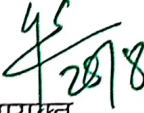
45/217

जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी है। विक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल-7.12 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि विक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा भूमि विक्री की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(बी) के अंतर्गत सन्तु पासवान वो उपेन्द्र कुमार दोनों के पिता-स्व० दुना पासवान, सा०+थाना-मनिका, जिला-लातेहार को क्रेता व्यास देवी पति-स्व० राजेन्द्र बैठा वो बुधन बैठा वो शंकर बैठा दोनों के पिता-स्व० सोमर बैठा सा०+थाना-मनिका, जिला-लातेहार के साथ मौजा-मनिका अंचल-मनिका, खाता संख्या-106 प्लॉट संख्या-1019 रकबा-0.10 एकड़ भूमि विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, मनिका को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।